Telephone : 0120-3174178
E-mail : admin@nsgsassociety.com
Website : www.nsgsassociety.com

एन.एस.जी. सहकारी आवास समिति लिमिटेड
पंजीकृत सं. 2213/1996
प्लॉट नंबर 2, पॉकेट-6, बिल्डर्स एरिया, ग्रेटर नोएडा, गौतमबुद्ध नगर (उत्तर प्रदेश) - 201310

N.S.G. SAHKARI AVAS SAMITI LIMITED

REGISTERED NO. 2213/1996
Plot No. 2, Pocket-6, Builder's Area, Greater Noida, Gautam Budh Nagar (U.P.) - 201310

संदर्भ संख्या
Ref. No NSG SAS/Notice-3/22-23

दिनांक
Dated 11.7.2022

All Members/Plots Holders of
NSG SAS LTD

UPDATES : PENDING CASES/FIR/POLICE COMPLAINTS.

Some of the Members have raised a number of queries on the issues related to management of transfer of plots/membership, preparation of list of Membership for next Election of Committee of Management as due in March 2023 since last Election was held in April, 2018 (last COM ceased to function from 18 Mar 2018 itself on completion of its 05 years' term), status of Interim Management appointed by UP Avas Evam Vikash Parishad, Lucknow in April 2018 for initially only six months tenure but extended upto Nov 2019. Administrators were appointed on the pretext that quorum of elected COM in April 2018 was incomplete since only 04 Executive Members could be elected out of 09 required. Due to some reason or other, UP Avas Evam Vikash Parishad extended handing over charges of Society's Office and Records upto 31 Jan 2020 despite the fact that the new COM was elected on 22 Nov 2019 itself and was ready to take over the charge.

2. Now the real drama happened on 31.1.2020 when the Administrators had planned to hand over charges but in actual there was no handing over of Charges of Society's Office and Records. Everybody knows that story as such not being elaborated here to avoid repetition. COM had filed F.I.R against the Administrators who had cheated the newly elected COM in day light. F.I.R No.0422 was filed on 8.8.2020 in PS Kasna Beta-II. Mr. Praveen Kataria, Assistant Secretary in Team of Administrators rushed to S.D.M. Court Gautam Budh Nagar

एन.एस.जी. सहकारी आवास समिति लिमिटेड रजिस्ट्रेशन नं. 2213/1996

twice to obtain Bail but denied by the Court vide Orders dated 10.09.2020 and 22.10.2020. **Copy of F.I.R and S.D.M Court orders are enclosed at "A"** for perusal of Members since most of the Members want to see the status and the present Management believes in total transparency.

3. Another case of Chief Ministers reference No.12140220056024 in which Sh. Ashok Maheshwari, Chairman Municipal Corporation, Modi Nagar has requested the Chief Minister, Uttar Pradesh for Impartial Investigation in to the matter of Illegal allotment of Shop No.12 of NSG Shopping Centre (alongwith other issues) on immediate basis. Para-9 of ibid complaint is reproduced below for better appreciation:-

> "Purposely delaying to pursue a pending court case in the District Court, District Gautam Budh Nagar Criminal Revision No.64 of 2020 in the court of DJ/G.B. Nagar, in criminal connivance of Mr. Praveen Kataria, the Ex-Assistant Secretary of the last Interim Committee and the Registrar and Housing Commissioner U.P. Avas Evam Vikas Parishad, U.P. for recovery of Immovable Commercial Property of the Society, Shop No.12, which has been illegally got allotted by Mr. Praveen Kataria when he was working as Assistant Secretary of the Interim Committee appointed by the Registrar, in the name of a firm Rounak India Projects (P) Ltd. in which he is a Director".

In this regard, it is mentioned that the Court case No.11 of 2020 relating to illegal occupation of Shop No.12 in NSG Shopping Centre, filed in Civil Court, Gautam Budh Nagar was heard on 27.8.2020 and Hon'ble Judge had linked the case with progress of F.I.R. No.422/2020 registered under Sections 420, 467 & 468. **Copy of said Judgment is enclosed at "B".**

4. Since we do not know progress on F.I.R No.0422 as to whether charges have been framed, reminder request has been sent on 21.06.2022 to know about the latest position/progress. However, so far, no response has been received.

5. Present COM has lodged another Police Complaint dated 07 Apr 2022 for filing a regular F.I.R post re-opening of society's Office on 31 Dec 2021 and taking over details of Office Records held, by a Board of Members appointed on 04.01.2022 for the purpose. That too is pending with P.S. Kasna, Beta-II. Society had planned to publish detailed notice, in local Newspapers and standard Newspapers, in respect of missing files of NSG Members so that a request could be sent to GM Property and GM Planning, Greater Noida Authority to issue duplicate certified copies of Registered Sub-Lease deed, Indemnity Bond, Possession Certificate, Permission for Construction of House, Occupancy Certificates on Completion of House Construction along with copies of approved drawings and allotment letters etc. That could have been an authorized way of re-construction of missing files of Members. Here it is clarified that in absence of personnel's files of Members, there may be legal and other constraints in the procedure for Sale/Purchase of Plots, Transfer of Memberships, Mutation Cases on account of expiry of Member, Gift Cases on Mutation, seeking loans from Banks/Financial Institutions etc. However, for the time being we have started re-construction of files by asking the available Members (whose contacts are held in the Office) to cooperate by submitting copies of documents along with originals as notified vide over Notice-I dated 7.7.22 circulated on WhatsApp Messages in Society's Member Group and Society's Website, awaiting receipt of regular F.I.R. on Police complaint dated 7.4.22.

Thanks.

Encls:-

"A" Copy of FIR & copy of SDM Court Orders dt 10.09.2020 and 22.10.2020.

"B" SDM Court Order dt 27.08.2020 alongwith PS Kasna Beta-II letter with applicant's case.

रजिस्ट्रेशन नं. 2213/1996

11/7/2022

(P.M. Thakur)
Secretary

N.C.R.B (एन.सी.आर.बी)
I.I.F.-I (एकीकृत जाँच फार्म -I)

FIRST INFORMATION REPORT

(Under Section 154 Cr.P.C.)
प्रथम सूचना रिपोर्ट
(धारा 154 दंड प्रक्रिया संहिता के तहत)

1. District (जिला): गौतम बुद्ध नगर   P.S. (थाना): कासना   Year (वर्ष): 2020
   FIR No. (प्र.सू.रि. 0422   Date &Time of FIR (प्र.सू.रि. की दिनांक/समय) 08/08/2020 21:26 बजे

2.

S.No. (क्र.सं.)	Acts (अधिनियम)	Sections (धारा(एँ))
1	भा द स 1860	420
2	भा द स 1860	467
3	भा द स 1860	468

3. (a) Occurrence of offence (अपराध की घटना):
   1. Day (दिन):   Date From (दिनांक से   Date To (दिनांक तक):
   Time Period (समय अवधि):   Time From (समय से):   Time To (समय तक):
   (b) Information received at P.S. (थाना जहां सूचना प्राप्त हुई):
   Date (दिनांक): 08/08/2020   Time (समय): 21:10 बजे
   (c) General Diary Reference (रोजनामचा संदर्भ):
   Entry No. (प्रविष्टि सं.): 076   Date & Time (दिनांक और समय): 08/08/2020 21:10 बजे

4. Type of Information (सूचना का प्रकार): लिखित

5. Place of Occurrence (घटनास्थल):
   1. (a) Direction and distance from P.S.(थाना से दूरी और दिशा): पूर्व, 05 किमी   Beat No. (बीट सं.):
   (b) Address (पता): एन0एस0जी0 सहकारी आवास समिती
   (c) In case, outside the limit of this Police Station, then (यदि थाना सीमा के बाहर है तो):
   Name of P.S.(थाना का नाम):   District(State) (जिला (राज्य)):

6. Complainant / Informant (शिकायतकर्ता/सूचनाकर्ता):
   (a) Name (नाम): शमशेर बहादुर देयोल
   (b) Father's/Husband's Name(पिता / पति का नाम) :
   (c) Date/Year of Birth (जन्म तिथि / वर्ष): 1970   (d) Nationality (राष्ट्रीयता): भारत
   (e) UID No. (यूआईडी सं.):   Date of Issue (जारी करने की तिथि):
   (f) Passport No.(पासपोर्ट सं.):
   Place of Issue (जारी करने का स्थान):
   (g) Id details (Ration Card,Voter ID Card,Passport,UID No.,Driving License,PAN)

S.No.(क्र.सं.)	Id Type (पहचान पत्र का प्रकार)	Id Number (पहचान संख्या)
1		

   (h)Address (पता):

S.No.(क्र.सं.)	Address Type (पता का प्रकार)	Address (पता)
1	वर्तमान पता	अध्यक्ष एन0एस0जी0 सहकारी आवास ,समिति लि0मि0,कासना,गौतम बुद्ध नगर,उत्तर प्रदेश,भारत
2	स्थायी पता	अध्यक्ष एन0एस0जी0 सहकारी आवास ,समिति लि0मि0,कासना,गौतम बुद्ध नगर,उत्तर प्रदेश,भारत

(i) Occupation (व्यवसाय):

(j) Phone number (दूरभाष स.): Mobile (मोबाइल स.):

7. Details of known/suspected/unknown accused with full particulars (ज्ञात / संदिग्ध / अज्ञात अभियुक्त का पूरे विवरण सहित वर्णन):

Accused More Than (अज्ञात आरोपी एक से अधिक हो तो संख्या):

S.No.(क्र. सं.)	Name (नाम)	Alias (उपनाम)	Relative's Name (रिश्तेदार का नाम)	Present Address (वर्तमान पता)
1	प्रवीण कटारिया पूर्व सहायक सचिव			1. ए-03 एन0एस0जी0 सहकारी आवास ,समिती लि0मि0,कासना,गौतम बुद्ध नगर,उत्तर प्रदेश,भारत

8. Reasons for delay in reporting by the complainant/informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता द्वारा रिपोर्ट देरी से दर्ज कराने के कारण):

9. Particulars of properties of interest (सबन्धित सम्पति का विवरण):

S.No. (क्र. सं.)	Property Category (सपत्ति श्रेणी)	Property Type (सम्पत्ति का प्रकार)	Description (विवरण)	Value(In Rs/-) (मूल्य (रु मे))

10. Total value of property (In Rs/-)-सम्पत्ति का कुल मूल्य(रु मे):

11. Inquest Report / U.D. case No., if any (मृत्यु समीक्षा रिपोर्ट / यू.डी. प्रकरण स., यदि कोई हो

S.No. (क्र.	UIDB Number (यू.डी.प्रकरण

12. First Information contents (प्रथम सूचना तथ्य):

नकल तहरीर हिन्दी वादी टाईप शुदा न्यायालय श्रीमान द्वितीय ए0सी0जे0एम0 गौतमबुद्धनगर प्रार्थना पत्र स0- सन् 2020 समशेर वहादुर देयोल अध्यक्ष एन0एस0जी0 सहकारी आवास समिति लि0. थाना वीटा 2, ग्रेटर नोएडा गौतमबुद्धनगर.. प्रार्थी वनाम प्रवीण कटारिया पूर्व सहायक सचिव ए-03, एन0एस0जी0 सहकारी आवास समिति लि0, थाना वीटा 2 ग्रेटर नोएडा गौतमवुद्धनगर. विपक्षी अ0 धारा- 156(3) सीआरपी0सी0 थाना वीटा 2, प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा -156(3) सीआर0पी0सी0 महोदय, निवेदन है कि प्रार्थी एन0एस0जी0 सहकारी आवास समिति लि0 ग्रेटर नोएडा गौतमवुद्धनगर की नवनिर्वाचित समिति का अध्यक्ष है। दिनाक 31.01.2020 को विपक्षी ने नवनिर्वाचित समिति के पदाधिकारियो को समिति के कार्यालय मे वुलाकर सभी से कहा कि मै समस्त अधिकार (चार्ज) अध्यक्ष महोदय जी (प्रार्थी) को दे रहा हूँ। कृप्या करके आप मुझे लिखकर दे दीजिये। उपस्थित सभी लोगो ने विपक्षी का विश्वास करते हुए एक भले इसान की तरह प्रार्थी ने लिखकर दे दिया। उस लिखे हुए दस्तावेज की एक प्रति प्रार्थी के पास है और दूसरी प्रति विपक्षी के पास है। विपक्षी ने अपनी प्रति मे नीचे अलग से फर्जी व झूठा लेख लिखकर उसकी प्रति अन्य सभी सम्वन्धित अधिकारियो को वजरिये वाट्स एप भेज दी और एन0एस0जी0 समिति के सचिव श्री एस0के0 शर्मा को भी उनके मोवाईल पर भेज दी। जिससे कि सभी लोग यह मैसेज पढकर आश्चर्यचकित हो गये और विपक्षी के फर्जीवाडे एंव कूटरचित दस्तावेजो का सभी लोगो को पता चल गया और सभी सम्वन्धित पदाधिकारियो द्वारा विपक्षी के विरूद्ध एफ0आई0आर0 दर्ज कराने की पुलिस आयुक्त गौतमवुद्धनगर से लगातार कोशिश की जा रही है। लेकिन 2 माह से ज्यादा का समय बीत गया है और अभी तक कोई भी एफ0आई0आर0 विपक्षी के विरूद्ध दर्ज नही की गयी है। उक्त घटना से सम्बन्धित सभी दस्तावेज की प्रति शिकायत पत्र के साथ श्रीमान पुलिस आयुक्त महोदय गौतमवुद्धनगर को दिनाक 22.5.2020 को भेज दी गयी है। जिसकी ईमेल द्वारा प्राप्ति भी प्रार्थी के पास है। लेकिन अभी तक कोई भी कानूनी कार्यवाही विपक्षी के विरूद्ध अमल मे नही लायी गयी है। प्रार्थी हताश होकर न्याय की उम्मीद मे माननीय न्यायालय के समक्ष यह प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर रहा है। अत: श्रीमान जी प्रार्थना है कि थानाध्यक्ष बीटा 2, ग्रेटर नोएडा को आदेशित किया जाये कि विपक्षी प्रवीण कटारिया के विरूद्ध प्रार्थी की रिपोर्ट दर्ज करके कानूनी कार्यवाही अमल मे लायी जावे। आपकी अति कृपा होगी। दिनांक 3/7/2020 प्रार्थी शमशेर देयोल, समशेर वहादुर देयोल अध्यक्ष एन0एस0जी0 सहकारी आवास समिति लि0, थाना बीटा-2 ग्रेटर नोएडा गौतमवुद्धनगर, नोट- मै का0 2304 दिनेश कुमार प्रमाणित करता हूँ कि तहरीर वादी की नकल शब्द व शब्द मेरे द्वारा बोल बोल कर कम्प्यूटर पर टाईप कराई गयी।

13. **Action taken:** Since the above information reveals commission of offence(s) u/s as mentioned at Item
(की गयी कार्यवाही : चूंकि उपरोक्त जानकारी से पता चलता है कि अपराध करने का तरीका मद सं. 2 में उल्लेख धारा के तहत

(1) Registered the case and took up the investigation: or

(2) Directed (Name of I.O.) (जांच अधिकारी का नाम): Sundar Singh Rank (पद): SI (Sub-Inspector)
No.(0912120504 to take up the Investigation (को जांच अपने पास में लेने के लिए निर्देश दिया गया)

(3) Refused investigation due to (जांच के लिए):

or (के कारण इंकार किया

(4) Transferred to P.S. District
on point of jurisdiction (को क्षेत्राधिकार के कारण

F.I.R. read over to the complainant / informant,admitted to be correctly recorded and a copy given to the complainant / informant free of cost. (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता को प्राथमिकी पढ़ कर सुनाई गयी, सही दर्ज हुई माना और R.O.A.C.(आर. ओ .ए .सी.)

14. **Signature/Thumb impression of the complainant / informant.**(शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता के हस्ताक्षर / अंगूठे का निशान):

15. Date and time of dispatch to the court (अदालत में प्रेषण की दिनांक और समय):

Signature of Officer in charge, Police Station
(थाना प्रभारी के हस्ताक्षर)
Name (नाम): SUJEET KUMAR UPADHYAY
Rank(पद): SI (Sub-Inspector)
No.(सं.): 980920132

यू0पी0जी0बी0 01006405–2020
जमानत प्रार्थनापत्र संख्या 757 सन् 2020

परवीन कटारिया
प्रति
उत्तर प्रदेश राज्य

आदेश दिनांक 10.09.2020

आवेदक/अभियुक्त परवीन कटारिया की ओर से मु0अ0सं0 422/2020 धारा 420, 467, 468 भा0द0सं0 थाना बीटा–2 गौतमबुद्धनगर में **अंतरिम (Interim)** जमानत हेतु प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा **438** द0प्रसं0 प्रस्तुत किया गया है।

मैंने आवेदक/अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता एवं विद्वान ए0डी0जी0सी0 (फौ0) को सुना तथा प्रतिभू प्रार्थना पत्र व केस डायरी एवं अन्य प्रपत्रों का अवलोकन किया।

संक्षेप में अभियोजन कथानक के अनुसार वादी शमशेर बहादुर देयोल अध्यक्ष एन0एस0जी0 सहाकारी आवास समिति लि0 द्वारा इस आशय की प्रथम सूचना रिपोर्ट पंजीकृत करायी गयी कि वादी एन0एस0जी0 सहाकारी आवास समिति लि0 ग्रेटर नोएडा, गौतमबुद्धनगर की नवनिर्वाचित समिति का अध्यक्ष है। दिनांक 31.1.2020 को विपक्षी ने नवनिर्वाचित समिति के पदाधिकारियो को समिति के कार्यालय में बुलाकर सभी से कहा कि वह समस्त अधिकार चार्ज, अध्यक्ष महोदय प्रार्थी को दे रहा है। कृपया करके आप उसे लिखकर दे दीजिये। उपस्थित सभी लोगो ने विपक्षी का विश्वास करते हुए एक भले इंसान की तरह प्रार्थी ने लिखकर दे दिया। उस लिखे हुए दस्तावेज की एक प्रति प्रार्थी के पास है और दूसरी प्रति विपक्षी के पास है। विपक्षी ने अपनी प्रति के नीचे अलग से फर्जी व झूठा लेख लिखकर उसकी प्रति अन्य सभी सम्बन्धित अधिकारियो को बजरिये वाट्सएप भेज दी और एन0एस0जी0 समिति के सचिव एस0के0 शर्मा को भी उनके मोबाईल पर भेज दी जिससे कि सभी लोग यह मैसेज पढकर आश्चर्यचकित हो गये और विपक्षी के फर्जीवाडे एवं कूटरचित दस्तावेजो का सभी लोगो को पता चल गया और सभी सम्बन्धित पदाधिकारियो द्वारा विपक्षी के विरूद्ध एफ0आई0आर0 दर्ज कराने की पुलिस आयुक्त गौतमबुद्धनगर से लगातार कोशिश की जा रही है लेकिन 2 माह से ज्यादा का समय बीत गया है और अभी तक कोई भी एफ0आई0आर0 विपक्षी के विरूद्ध दर्ज नहीं की गयी है। न्यायालय के आदेश पर प्रार्थना पत्र धारा 156(3) द0प्र0सं0 के तहत मुकदमा पंजीकृत किया गया।

न्यायालय जनपद, न्यायाधीश गौतम बुद्ध नगर सिविल प्रतिलिपि विभाग

आवेदक/अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता द्वारा तर्क प्रस्तुत किया गया है कि आवेदक/अभियुक्त द्वारा उक्त धाराओ से सम्बन्धित कोई अपराध कदापि कारित नहीं किया गया है। पुलिस आवेदक/अभियुक्त को झूठे साक्ष्यो के आधार पर गिरफ्तार करना चाहती है। प्रथम सूचना रिपोर्ट विलम्ब से दर्ज करायी गयी है। आवेदक/अभियुक्त भारत का एक शांति प्रिय नागरिक है, जिसे न्यायिक प्रणाली में पूर्ण विश्वास है। आवेदक/अभियुक्त के विरूद्ध वादी के साथ–साथ थानेदार के पुलिस अधिकारियो अवैध और दुर्भावनापूर्ण रूप से उत्पीडन कर रहे थे। आवेदक/अभियुक्त उ0प्र0 आवास इवम विकास काउन्सिल द्वारा गठित सोसायटी अंतरिम प्रबंधन समिति के सहायक सचिव थे। दिनांक 22.11.2019 को एन0एस0जी0 सहाकारी सोसायटी 4 के चुनाव के परिणाम आनंद श्रीनेट, एस0डी0एम0/चुनाव अधिकारी द्वारा घोषित किए गऐ थे। आवेदक/अभियुक्त चुनाव अधिकारी की सहायता कर रहा था परिणाम की घोषणा के बाद आवेदक/अभियुक्त ने कई अनुरोध किए और तद्नुसार नवनिर्वाचित प्रबंधन समिति को पत्र लिखा कि वह सभी सामानो के साथ सोसायटी कार्यालय का प्रभार ले। आवेदक/अभियुक्त ने जनरल बॉडी मीटिंग बुलाकर और प्रकिया सौपने के लिए कई नोटिस दिये थे। इसके बाद वादी द्वारा जून 2020 के महीने में एक शिकायत दर्ज की गई। उसने यह भी कहा है कि आवेदक/अभियुक्त का जीवन व स्वतंत्रता इस वाद में लिप्त है। आवेदक/अभियुक्त को अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र का निस्तारण होने तक **अंतरिम** अग्रिम जमानत पर रिहा किया जाये।

सुना एवं केस डायरी का अवलोकन किया।

केस डायरी के अवलोकन से विदित है कि आवेदक/अभियुक्त ने नवनिर्वाचित समिति के पदाधिकारियो को समिति के कार्यालय में बुलाकर सभी से कहा कि वह समस्त अधिकार (चार्ज) अध्यक्ष महोदय वादी मुकदमा को दें रहा है और उसे लिखकर दिये। विश्वास करके सभी ने लिखकर दे दिया जबकि आवेदक/अभियुक्त ने कोई चार्ज नहीं सौपा। आवेदक/अभियुक्त ने धोखाधडी करके एवं कूटरचित दस्तावेज तैयार कर यह व्हासएप मैसिज सभी सम्बन्धित अधिकारियो व पदाधिकारियो व एन0एस0जी0 समिति के सचिव एस0के0 शर्मा को भी उनके मोबाईल पर भेज दी दिया।

अभियोजन का कथन है कि अभी प्रस्तुत प्रकरण में विवेचना जारी है तथा आवेदक/अभियुक्त की प्रस्तुत प्रकरण में स्पष्ट भूमिका अग्रिम विवेचना में ज्ञात होगी। यह भी बताया गया है कि आवेदक/अभियुक्त से पूछताछ किया जाना आवश्यक है जिस हेतु आवेदक/अभियुक्त को अभिरक्षा में लिये जाने की आवश्यकता होगी।

प्रस्तुत प्रकरण के तथ्यो, परिस्थितियों, अपराध की गंभीरता, अपराध की प्रकृति तथा गुणदोष पर विचार किये बिना आवेदक/अभियुक्त को **अंतरिम** प्रतिभू पर मुक्त किये जाने का आधार नहीं है।

आवेदक/अभियुक्त की ओर से प्रस्तुत **अंतरिम (Interim)** जमानत हेतु प्रार्थना पत्र निरस्त किया जाता है।

10.09.20

प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश,
गौतम बुद्ध नगर।

फोटो सत्य प्रतिलिपि

मुख्य प्रतिलिपिक 21.9.20
जनपद न्यायालय गौतम बुद्ध नगर

जमानत प्रार्थनापत्र संख्या 757 सन् 2020
परवीन कटारिया प्रति उत्तर प्रदेश सरकार
मु0अ0 संख्या 422 सन् 2020
धारा 420, 467, 468 भा0द0सं0
थाना–बीटा–2
जिला–गौतम बुद्ध नगर।

<u>आदेश दिनांक–22.10.2020</u>

अग्रिम जमानत प्रार्थनापत्र प्रस्तुत हुआ। आवेदक/अभियुक्त परवीन कटारिया की ओर से विद्वान अधिवक्ता श्री अमित तिवारी उपस्थित है व उ0प्र0 राज्य की ओर से विद्वान डी0 जी0सी0 (कि0) श्री ब्रहमजीत भाटी उपस्थित है।

आवेदक/अभियुक्त **परवीन कटारिया** की ओर से धारा 438 दण्ड प्रकिया संहिता के अन्तर्गत प्रार्थनापत्र प्रस्तुत कर **अग्रिम** जमानत प्रदान किये जाने का अनुरोध किया गया है।

संक्षेप में अभियोजन कथानक के अनुसार वादी शमशेर बहादुर देयोल अध्यक्ष एन0एस0जी0 सहाकारी आवास समिति लि0 द्वारा इस आशय की प्रथम सूचना रिपोर्ट पंजीकृत करायी गयी कि वादी एन0एस0जी0 सहाकारी आवास समिति लि0 ग्रेटर नोएडा, गौतमबुद्धनगर की नवनिर्वाचित समिति का अध्यक्ष है। दिनांक 31.1.2020 को विपक्षी ने नवनिर्वाचित समिति के पदाधिकारियो को समिति के कार्यालय में बुलाकर सभी से कहा कि वह समस्त अधिकार चार्ज, अध्यक्ष महोदय प्रार्थी को दे रहा है। कृपया करके आप उसे लिखकर दे दीजिये। उपस्थित सभी लोगो ने विपक्षी का विश्वास करते हुए एक भले इंसान की तरह प्रार्थी ने लिखकर दे दिया। उस लिखे हुए दस्तावेज की एक प्रति प्रार्थी के पास है और दूसरी प्रति विपक्षी के पास है। विपक्षी ने अपनी प्रति के नीचे अलग से फर्जी व झूठा लेख लिखकर उसकी प्रति अन्य सभी सम्बन्धित अधिकारियो को बजरिये वाट्सएप भेज दी और एन0एस0जी0 समिति के सचिव एस0के0 शर्मा को भी उनके मोबाईल पर भेंज दी जिससे कि सभी लोग यह मैसेज पढकर आश्चर्यचकित हो गये और विपक्षी के फर्जीवाडे एवं कूटरचित दस्तावेजो का सभी लोगो को पता चल गया और सभी सम्बन्धित पदाधिकारियो द्वारा विपक्षी के विरूद्व एफ0आई0आर0 दर्ज कराने की पुलिस आयुक्त गौतमबुद्धनगर से लगातार कोशिश की जा रही है लेकिन 2 माह से ज्यादा का समय बीत गया है और अभी तक कोई भी एफ0आई0आर0 विपक्षी के विरूद्ध दर्ज नहीं की गयी है। न्यायालय के आदेश पर प्रार्थना पत्र धारा 156(3) द0प्र0सं0 के तहत मुकदमा पंजीकृत किया गया।

आवेदक/अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता द्वारा तर्क प्रस्तुत किया गया है कि आवेदक/अभियुक्त द्वारा उक्त धाराओ से सम्बन्धित कोई अपराध कदापि कारित नहीं किया गया है। पुलिस आवेदक/अभियुक्त को झूठे साक्ष्यो के आधार पर गिरफ्तार करना चाहती है। प्रथम सूचना रिपोर्ट विलम्ब से दर्ज करायी गयी है। आवेदक/अभियुक्त भारत का एक शांति प्रिय नागरिक है, जिसे न्यायिक प्रणाली में पूर्ण विश्वास है। आवेदक/अभियुक्त के विरूद्ध वादी के साथ–साथ थानेदार के पुलिस अधिकारियो अवैध और दुर्भावनापूर्ण रूप से उत्पीडन कर रहे थे। आवेदक/अभियुक्त उ0प्र0 आवास विकास काउन्सिल द्वारा गठित सोसायटी अंतरिम प्रबंधन समिति के सहायक सचिव थे। दिनांक 22.11.2019 को एन0एस0जी0 सहाकारी सोसायटी 4 के चुनाव के परिणाम आनंद श्रीनेत, एस0डी0एम0/चुनाव अधिकारी द्वारा घोषित किए गए थे। आवेदक/अभियुक्त चुनाव अधिकारी की सहायता कर रहा था परिणाम की घोषणा के बाद आवेदक/अभियुक्त ने कई अनुरोध किए और तदनुसार नवनिर्वाचित प्रबंधन समिति को पत्र लिखा कि वह सभी सामानो के साथ सोसायटी कार्यालय का प्रभार ले। आवेदक/अभियुक्त ने जनरल बॉडी मीटिंग बुलाकर और प्रकिया सौपने के लिए कई नोटिस दिये थे। इसके बाद वादी द्वारा जून 2020 के महीने में एक शिकायत दर्ज की गई। उसने यह भी कहा है कि आवेदक/अभियुक्त का जीवन व स्वतंत्रता इस वाद में लिप्त है। आवेदक/अभियुक्त ने विधि निर्णय सोभन सिंह खाका बनाम झारखण्ड राज्य एबीसी 2012 (1) 241 एस सी, राजेश दुआ बनाम राज्य बेल एप्लीकेशन 778/2017 निर्णय दिनांक 9.8.2017

दिल्ली उच्च न्यायालय, राजेश रोशन बनाम बिहार राज्य क्रिमिनल मिसलेनियस नं0 20020/2013 निर्णय दिनांक 5.8.2013 पटना उच्च न्यायालय, जितेन्द्र कुमार एवं अन्य बनाम उ0प्र0 राज्य क्रिमिनल मिसलेनियस एन्टीसिपेट्री. बेल एप्लीकेशन धारा 482 द0प्र0सं0 नं0 395/2020 इलाहाबाद उच्च न्यायालय, सुल्तान बनाम उ0प्र0 राज्य क्रिमिनल मिसलेनियस एन्टीसिपेट्री बेल एप्लीकेशन धारा 482 द0प्र0सं0 नं0 2069/2020 निर्णय 5 जून 2020 इलाहाबाद उच्च न्यायालय में माननीय न्यायालय द्वारा दिये गये निर्धारण पर निर्भर किया है, का सम्मान पूर्वक अवलोकन किया गया।

सुना एवं केस डायरी तथा संलग्न प्रपत्रो का अवलोकन किया।

अभियोजन का तर्क है कि आवेदक/अभियुक्त ने नवनिर्वाचित समिति के पदाधिकारियो को समिति के कार्यालय में बुलाकर सभी से कहा कि वह समस्त अधिकार (चाजी) अध्यक्ष महोदय वादी/मुकदमा को दे रहा है और उसे लिखकर दिये। विश्वास करके सभी ने लिखकर दे दिया जबकि आवेदक/अभियुक्त ने कोई चार्ज नहीं सौपा। अभियोजन का यह भी तर्क है कि आवेदक/अभियुक्त ने धोखाधडी करके एवं कूटरचित दस्तावेज तैयार कर यह व्हासएप मैसिज सभी सम्बन्धित अधिकारियो व पदाधिकारियो व एन0एस0जी0 समिति के सचिव एस0के0 शर्मा को भी उनके मोबाईल पर भेज दी दिया। अभियोजन का यह भी तर्क है कि आवेदक/ अभियुक्त ने कूटरचित तरीके से समिति का चार्ज दिया है। समिति का चार्ज लेते समय आवेदक/अभियुक्त ने मौजूदा अध्यक्ष एवं मेम्बर की फोटोग्राफी तो की है परन्तु जार्च देते समय अपनी कोई फोटोग्राफी नहीं की है जिससे विदित होता है कि आवेदक/अभियुक्त ने जानबूझकर धोखाधडी की है। जार्च देने का मूल दस्तावेज भी आवेदक/अभियुक्त ने उपलब्ध नहीं कराया है।

मामले के तथ्यों एवं परिस्थितियो व अभियुक्त द्वारा कारित अपराध की प्रकृति और गंभीरता को देखते हुए न्यायालय के मत में अभियुक्त की अग्रिम जमानत के पर्याप्त आधार नहीं है और **अग्रिम** जमानत प्रार्थना पत्र निरस्त किये जाने योग्य है।

<u>आदेश</u>

अभियुक्त परवीन कटारिया का **अग्रिम** जमानत प्रार्थना पत्र निरस्त किया जाता है।

22.10.20

(अशोक कुमार सिंह–V)
प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश,
गौतम बुद्ध नगर।

Order Received

Neeraj Bhardwaj

22/10/2020

फोटो सत्य प्रतिलिपि
22.10.20
मुख्य प्रतिलिपिक
जनपद न्यायालय गौतम बुद्ध नगर

CNR No. UPGB0 40238420

In the Court of ......J.M.............G.B.Nagar.

47 31.8.20

Suit No/Case No......11...... of 2020

Shamsher Deol v/s ...Praveen Kalra & others

U/S----156 (3) CrPC

P.S.-------Beta II Gr Noida

जनपद न्यायाधीश प्रतिलिपि विभाग गौतम बुद्ध नगर

Certified copy of Order/Judgement/Ordersheet dated------Police Report 18/8/20

CANCELLED CANCELLED

5 रु. COURT FEE Rs.5 भारत INDIA पाँच रुपये FIVE RUPEES

5 रु. COURT FEE Rs.5 भारत INDIA पाँच रुपये FIVE RUPEES

02 टिकिट 10/- रुपये

मुख्य प्रतिलिपिक न्यायालय जनपद, गौतम बुद्धनगर

आवेदन देने की तिथि 31.08.20

नोटिस तैयार करने की तिथि 01.09.20

प्रतिलिपि जारी करने की तिथि 01.09.20

1.9.20

मुख्य प्रतिलिपिक जनपद-न्यायालय, गौतम बुद्ध नगर

Applicant

B.S.Nagar

Advocate

Civil Court, G.B Nagar.

Mob: 9811811311

Baljeet Singh Nagar Advocate Ch. No. 192 Lane No-6 Civil Court Surajpur Gr. Noida Distt. G.B.Nagar 9811811311

न्यायालय न्यायिक मजिस्ट्रेट, गौतमबुद्धनगर
UPGB040238432020
JO Code- UP2481

समशेर बहादुर बनाम प्रवीण कटारिया आदि

प्रकीर्ण वाद संख्या- 11/2020
धारा- 156(3) द०प्र०सं०
थाना- बीटा 2

दिनांकः- 27.08.2020

1. पत्रावली पेश हुई। पत्रावली आदेश हेतु नियत है।

2. आवेदक समशेर बहादुर के विद्वान अधिवक्ता को प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 156(3) द०प्र०सं० पर विगत तिथि पर सुना जा चुका है। पत्रावली का अवलोकन किया।

3. संक्षेप में कथन इस प्रकार है कि प्रार्थी एनएसजी सहकारी आवासी समिति लि० ग्रेटर नोएडा, गौतमबुद्धनगर का नवनिर्वाचित समिति का अध्यक्ष है। विपक्षीगण 1 व 2 ने आपस में साज करके एनएसजी समिति की एक दुकान नं० 12 रकबा 25.99 वर्ग मीटर स्थित शॉपिंग काम्पलेक्स एनएसजी सोसायटी ग्रेटर नोएडा, गौतमबुद्धनगर को दिनांक 19.11.2019 को बही सं० 1 जिल्द सं० 34858 के पृष्ठ सं० 31 से 60 तक क्रमांक 37500 पर विपक्षी सं० 3 के हक में गैर कानूनी एवं अवैधानिक रूप से रजिस्ट्रीकृत करा लिया। जब प्रार्थी को विपक्षीगण के इस फर्जीवाडे का पता चला तो प्रार्थी ने विपक्षीगण से कहा कि आप लोगों ने ये क्या किया तो विपक्षीगण ने धमकी दी कि हमको जो करना था कर लिया। आप जो चाहे वो करें ये दुकान हमारी है, इसे हमसे कोई नहीं ले सकता। प्रार्थी ने दिनांक 04.05.2020 को एक प्रार्थना पत्र सहायक पुलिस आयुक्त महोदय, गौतमबुद्धनगर को दिया, लेकिन अभी तक कोई भी कानूनी कार्यवाही विपक्षीगण के विरुद्ध अमल में नहीं लाई गयी है।

4. प्रार्थना पत्र को शपथ पत्र द्वारा समर्थित किया गया है।

5. उपरोक्त के संबंध में संबंधित थाने से आख्या आहूत की गयी। थाने से प्राप्त आख्या दिनांकित 18.08.2020 के आख्यानुसार उपरोक्त प्रकरण के संबंध में मु०अ०सं० 422/2020 अंतर्गत धारा 420, 467, 468 भा०द०सं० पंजीकृत है, जिसकी विवेचना की जा रही है। अतः उपरोक्त तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुए प्रार्थना पत्र पोषणीय नहीं है, चूंकि उक्त प्रकरण में मुकदमा थाने पर पंजीकृत है और विवेचना जारी है।

आदेश

प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 156(3) द०प्र०सं० खारिज किया जाता है।

न्यायिक मजिस्ट्रेट
गौतमबुद्धनगर

सही सत्य प्रतिलिपि
मुख्य प्रतिलिपिक

CNR No. UPGB0 1006405 2020

In the Court of Ist. A.D.J. .... *G.B.Nagar.*

Suit No/Case No... 757 .... *of 2020*

Parveen Kataria ... *V/S* ... U.P. State ......

U/S- 420, 467, 468

P.S.- Beta - II

22
28/10/2020

जनपद, न्यायालय सिविल प्रतिलिपि विभाग गौतम बुद्ध नगर

Certified copy of Order/Judgement/Ordersheet dated- 22/10/2020

रु. टिकिट. 10 रुपये
मुख्य प्रतिलिपिक
जनपद, न्यायालय
गौतम बुद्धनगर

Rs.5 भारत INDIA पाँच रुपये FIVE RUPEES — CANCELLED
Rs.5 भारत INDIA पाँच रुपये FIVE RUPEES — CANCELLED

आवेदन देने की तिथि 28-10-2020 अठाईस अक्टूबर सन 2020
नोटिस तैयार करने की तिथि 29-10-2020 उन्तीस अक्टूबर सन 2020
प्रतिलिपि जारी करने की तिथि 29-10-2020 उन्तीस अक्टूबर सन 2020

मुख्य प्रतिलिपिक
जनपद-न्यायालय, गौतम बुद्ध नगर

Applicant

Baljeet Singh Naagar
B.S.Nagar Advocate
Ch. No. 182, Lane No-6
Civil Court Surajpur
Gr. Noida **Advocate** G.B.Nagar
Mob-9811811311

Civil Court .G.B Nagar.

Mob: 9811811311

रिपोर्ट थाना बीटा-2 जनपद गौ0 नगर

सेवा में

श्रीमान अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट महोदय
द्वितीय जनपद गौ0 नगर

महोदय

सादर अवगत कराना है कि आवेदक श्री शमशेर बहादुर डेयांल अध्यक्ष एन.एस जी सहकारी आवास समिति लि0 थाना बीटा-2 गौ0नगर के प्रार्थना पत्र की जाँच मुझ उ0नि0 द्वारा की गई तो पाया कि आवेदक द्वारा प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों के सम्बन्ध में पूर्व से मु0 422/20 धारा 420/467/468/ भादवि दिनांक 8.8.20 को वनाम प्रवीन कटारिया आदि विभाव सिंह पूर्व सहायक सचिव NG.O. सहकारी आवास समिति के विरुद्ध माननीय न्यायालय आदेश पर पंजीकृत होकर विवेचना मुख्य उ0 द्वारा की जा रही है विवेचना प्रचलित है।

अग्रिम आदेश / कार्यवाही हेतु रिपोर्ट सादर सेवा में प्रेषित है

Sinh
18.8.2020

(सु-दरसिंह)
उ0नि0
P.S बीटा II
G.B.N

जनपद न्यायाधीश सिविल प्रतिलिपि विभाग गौतम बुद्ध नगर

फोटो सत्य प्रतिलिपि
1.9.20
मुख्य प्रतिलिपिक
जनपद न्यायालय गौतम बुद्ध नगर